

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2016 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्री रमेश बरगोट पुत्र नाथीया बरगोट मीणा जाति आदिवासी निवासी लोडावल पादरा तहसील साबला जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्रीमती लालू बरगोट पत्नी रमेश बरगोट मीणा जाति आदिवासी निवासी लोडावल पादरा तहसील साबला जिला डूंगरपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कालिया पिता धुलिया मीणा जाति आदिवासी निवासी लोडावल तहसील साबला जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्रीमान लेण्ड होल्डर तहसीलदार साबला जिला डूंगरपुर (राज0)

..... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश अतिरिक्त जिला
कलक्टर डूंगरपुर दिनांक 27-05-2016 प्रकरण

संख्या 06/2015

---/---

- उपस्थित :- 1- श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्ट्स
2- श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1
3- राजकीय पैरोकार

-----/-----

निर्णय

दिनांक 03-01-2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट अपीलान्ट द्वारा रेस्पोंडेन्ट विपक्षी के विरुद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम-14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम-1970 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोडावल पादरा की आराजी नंबर 1799/1647 रकबा 5 बीघा भूमि पर वह पिछले कई वर्षों से से अतिक्रमी के रूप में काबित है। आवंटन कमेटी ने दिनांक 28-11-2010 को अभियान के दौरान विपक्षीगण को छिपकर उक्त भूमि का आवंटन कर

दिया, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी को आवंटन शिविरो की जानकारी नहीं थी। आवंटन नियमों की पालना नहीं हुई है।

विपक्षीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा आवंटन के विधिवत होने एवं कब्जा प्रार्थी का नहीं होकर विपक्षी आवंटी का होने का कथन किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27-5-2016 से उपलब्ध साक्ष्यों व उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी अपीलान्त का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24-6-2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लालसिंह चुण्डावत ने उपस्थिति दी। रेस्पोंडेन्ट संख्या-3 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्त द्वारा अपील में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्त खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्त के प्रमुख अपील उजर यह है कि आवंटन विधि विरुद्ध है। प्रार्थी अपीलार्थी आवंटित भूमि पर काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तलबी का आवेदन भी त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकॉर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलार्थी प्रमुखतया आवंटित भूमि पर अपना कब्जा होने के कारण रेस्पोंडेन्ट विपक्षी को किये गये आवंटन को खारिज करवाना चाहता है।

राजकीय भूमि के आवंटन के लिए अपीलान्त ने आवंटन अथवा नियमन का कोई आवेदन पेश किये जाने की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का पुराना कब्जा होने की विधिक व सक्षम

साक्ष्य भी उसके द्वारा पेश नहीं की गई है। प्रथम दृष्टया तो अपीलान्त अतिक्रमी के रूप में दीर्घकाल से काबिज होकर नियमन/आवंटन की पात्रता रखता हो, ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं, दूसरे अतिक्रमी का राजकीय भूमि पर विधिक आवंटी की तुलना में कोई लोकस-स्टेण्डाई नहीं होता। अपीलान्त द्वारा आवंटन के विधि विरुद्ध होने बाबत अथवा धोखे या मिस-रिप्रजेंटेशन अथवा आवंटी की पात्रता नहीं होने बाबत भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय में अपीलान्त का आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किये जाने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27-5-2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

